रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 23, 1991/भाद्र 1, 1913
No. 466] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 23, 1991/BHADRA 1, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1991

अधिसूचना

का.आ. 545(अ).—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामले, अर्थात् 21 मई, 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के प्रयोजन के लिए, अधिसूचना सं का.आ. 356(अ), तारीख 27 मई, 1991

द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग के अतिरिक्त, एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है;

अतः केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति श्री एस. सी. जैन होंगे।

2. आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में जांच करेगा :—

(क) श्रीपेरूम्बुदूर में श्री राजीव गांधी की हत्या में परिणत होने वाले घटनाक्रम और उससे संबंधित सभी तथ्य और परिस्थितियां (उन विषयों से भिन्न जो न्यायमूर्ति श्री जे. एस. वर्मा की अध्यक्षता वाले जांच आयोग को सौंपे गए विषयों के अंतर्गत आते हैं);

(ख) क्या कोई व्यक्ति या अभिकरण, हत्या का विचार करने, उसके लिए तैयारी करने और योजना बनाने के लिए उत्तरदायी थे और क्या इस संबंध में कोई षड्यंत्र किया गया था और यदि हां तो उसके सभी पहलू।

3. आयोग अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को यथाशीघ्र किंतु छह मास के अपश्चात् प्रस्तुत करेगा।

4. यदि आयोग ठीक समझे तो वह उपरोक्त पैरा 2 में वर्णित विषयों में से किसी भी विषय पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उक्त तारीख से पहले दे सकेगा।

5. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

6. केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच के स्वरूप और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू किए जाएं और केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उस धारा की उक्त उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे।

[सं. I/12014/17/91-आईएस(डी. III) डी II]

आर. के. भार्गव, गृह सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 1991

S.O. No. 545(E)..—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry, besides the Commission of Inquiry headed by Shri Justice J. S. Verma appointed vide notification No. S.O. 356(E), dated the 27th May, 1991, for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the assassination of Shri Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India, on the 21st May, 1991;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice M. C. Jain, retired Chief Justice of the High Court of Delhi.

2. The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters :—

(a) the sequence of events leading to, and all the facts and circumstances relating to, the assassination of Shri Rajiv Gandhi at Sriperumbudur (other than the matters covered by the terms of reference for the Commission of Inquiry headed by Shri Justice J. S. Verma);

(b) whether any person or persons or agencies were responsible for conceiving, preparing and planning the assassination and whether there was any conspiracy in this behalf and, if so, all its ramifications.

3. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than six months.

4. The Commission may, if it deems fit, make interim reports to the Central Government before the said date on any of the matters mentioned in paragraph 2 above.

5. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

6. The Central Government is of the opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should

be made applicable to the said Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[No. 1|12014|17|91-IS(D. III)|D II]

R. K. BHARGAVA, Home Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991